पत्रांक- 01/व1-05/2004(खण्ड) 1386 / दिनांक 3/8/12

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प

विषयः- झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत अवस्थित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)/शारीरिक शिक्षा संस्थानों (सी0पी0एड0,बी0पी0एड0 सहित) तथा निजी एवं अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी0एड0/प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शारीरिक शिक्षा सहित) में नामांकन की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1382, दिनांक 20.05.04 में संशोधन के संबंध में।

1. संकल्प की कंडिका 4 में शैक्षणिक योग्यता के संबंध में उल्लिखित प्रावधान को निम्न रूप से संशोधित करते हुए प्रतिस्थापित किया जाता है।

क. एक वर्षीय शिक्षा में स्नातक प्रशिक्षण कार्यक्रम (बी0एड0) :-

एक वर्षीय बी0एड0 प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन हेतु वे ही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और/अथवा मास्टर डिग्री अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण हों। परन्तु, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए यह 45 प्रतिशत होगा।

ख. दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी0एल0एड0) :-

दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन हेतु वे ही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद् से उच्च माध्यमिक परीक्षा/(+2) अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण हो। परन्तु, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए यह 45 प्रतिशत होगा।

ग. दो वर्षीय शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम (डी0पी0एड0) :-

दो वर्षीय शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स में नामांकन हेतु वे ही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद् से उच्च माध्यमिक परीक्षा/(+2) अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण हो। परन्तु, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए यह 45 प्रतिशत होगा।

घ. एक वर्षीय शारीरिक शिक्षा में स्नातक प्रशिक्षण कार्यक्रम (बी0पी0एड0) :-

एक वर्षीय शारीरिक शिक्षा में स्नातक प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन हेतु वे ही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे जो शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का

स्नातक पाठ्यक्रम अथवा किसी अन्य समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण हो। परन्तु, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए यह 45 प्रतिशत होगा।

अथवा

एक प्रमुख विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा में 50 प्रतिशत (आरक्षित कोटि 45 प्रतिशत) अंकों सहित स्नातक डिग्री।

अथवा

एक प्रमुख विषय के रूप में 50 प्रतिशत (आरक्षित कोटि 45 प्रतिशत) अंकों सहित शारीरिक शिक्षा से युक्त स्नातक डिग्री

ङ. विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर, चयन समिति अभ्यर्थी के चयन हेतु मेधांक की गणना नीचे दी गई सारणी में अंकित मेधांक के अनुसार करेगी :-

क्र0	प्राप्तांक (अनारक्षित/आरक्षित कोटि)	परीक्षावार एवं प्राप्तांक प्रतिशतवार अनुमान्य मेधांक				
		मैट्रिक	उच्च माध्यमिक /(+2)	स्नातक		स्नातोकोत्तर
				पास कोर्स/प्रतिष्ठा		
i	50% / 45% से अधिक एवं 60 % से कम	5	5	5	10	5
ii	60 % से 65 % तक	6	6	6	11	6
iii	65 % से अधिक एवं 70 % तक	7	7	7	12	7
iv	70 % से अधिक एवं 75 % तक	8	8	8	13	8
v	75 % से अधिक एवं 80 % तक	9	9	9	14	9
vi	80 % से अधिक	10	10	10	15	10

प्रवेश हेतु कुल मेधांक- 45

एन0सी0सी (बी0 सर्टिफिकेट)- 2 अंक

एन0सी0सी (सी0 सर्टिफिकेट)- 3 अंक

खेलकूद जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो- 3 अंक

खेलकूद जिसमें देश का प्रतिनिधित्व किया हो- 5 अंक

कुल मिलाकर 45+5 = 50 अंक

कुल मेधांक समान रहने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यताधारियों को नामांकन में प्राथमिकता दी जायेगी। यदि सभी कुछ एक समान हुए तो जिस उम्मीदवार की जन्म तिथि पूर्व की हो उन्हें जन्म तिथि के आधार पर चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

(3

2. संकल्प की कंडिका 10 में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाता हैः-

प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (डी0एल0एड0) में सीटों का बँटवारा एवं उसके विरूद्ध नामांकन निम्नवत् होगाः-

1.	भाषा	हिन्दी/संस्कृत/अरबी/फारसी/उर्दू	30%
		अंग्रेजी	10%
		जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाएँ	10%
2.	विज्ञान	भौतिकी/गणित	15%
		रसायन/जीव विज्ञान	15%
3.	समाज अध्ययन	इतिहास/भूगोल/नागरिक शास्त्र/अर्थशास्त्र/वाणिज्य	20%

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के आगामी अंक में जन साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया जाये।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

1/8/2012

सरकार के प्रधान सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-01/व1-05/2004(खण्ड) 1386/ दिनांक- 3/8/12

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी पांच सौ अतिरिक्त प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1/8/2012

सरकार के प्रधान सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-01/व1-05/2004(खण्ड) 1386 दिनांक- 3/8/12

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/सभी क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)/शारीरिक शिक्षा संस्थान (सी0पी0एड0,बी0पी0एड0 सहित) तथा निजी एवं अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (बी0एड0/प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शारीरिक शिक्षा सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/8/2012

सरकार के प्रधान सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-01/व1-05/2004(खण्ड) 1386/ दिनांक- 3/8/12

प्रतिलिपि- सभी कुलसचिव/सभी कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/8/2012

सरकार के प्रधान सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग

पत्रांक– 8/प04–07/2011–2479

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

डा0 डी0 के0 सक्सेना,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा,
झारखण्ड।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय उप–शिक्षा निदेशक,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 19/10/11

विषयः– प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु न्यूनतम योग्यता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना संख्या No. F.51/2009-NCTE(N&S), दिनांक 31.08.2009 द्वारा द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलेमेंट्री टीचर एडुकेशन (D.El.Ed.) कोर्स में नामांकन के लिए निर्धारित अहर्ता निम्नवत् हैः–

a. Candidates with at least 50% marks in the senior secondary (+2) or its equivalent examination are eligible for admission.

b. The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government/State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favor of SC/ST/OBC and other categories of candidates

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् द्वारा द्विवर्षीय प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन हेतु निर्धारित अहर्ता के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 1382, दिनांक 20.05.2004 में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

तद्नुसार, निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय संसूचित किये जाने तक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए चयन एवं नामांकन की प्रक्रिया स्थगित रखी जाये।

विश्वासभाजन

15/10/11

(डी0 के0 सक्सेना)
निदेशक, (प्रा0 शि0)